कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) शिक्षा विभाग, नागौर

कार्यालय–आदेश

श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/शा0शि0 III/सी.भ./2013–16 दिनांक 09.04.2016, 03.06.2016 एवं 08.09.2016 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती परीक्षा 2013 हेतु वेतन श्रृंखला पी.बी.–2 (9300–34800) ग्रेड पे 3600 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियो को **तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी.–2 (9300–34800) ग्रेड पे 3600** में दो वर्ष की अवधि हेतु परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार **नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा।** राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार **इनकी नियुक्ति अंशदायी पेन्शन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाहि राज्य सरकार के पत्रांक प. 17(4)शिक्षा–2/2009 दिनांक 29.3.16 के पार्ट बी मे वर्णित निर्देशो के अनुसार दिनांक 16.9.2016 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर पदस्थान कर** सम्बधित संस्थाप्रधान को निदेर्शित किया जाता है कि इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नाकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगे।

01. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजो की मूल दस्तावेजो से मिलाने कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखो में सुरक्षित रखेगे, कोई भिन्नता/ सन्देह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेगे।
02. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखे।
03. नियुक्ति पर कार्यग्रहण सम्बधी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नही होने पर ही इन्हे कार्यग्रहण करवाया जावे। **पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा।**
04. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानो के फलस्वरूप कुल सन्तानो की संख्या दो या दो से अधिक नही होने सम्बधी आशय का आवश्यक रूप से शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
05. राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ की वैधता जॉच विभाग स्तर पर करवायी जानी शेष है, अतः जिन अभ्यथियो द्वारा बाहर की संस्थाओ से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बधित अभ्यर्थियो से 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगे। यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध एवं मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
06. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली, अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
07. जो अभ्यार्थी बी.पी.ई. (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशिक्षक योग्यता धारित करते है, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नही होनें के कारण नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाते हुए इस कार्यालय को सुचित करे।
08. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र सम्बधित संस्थाप्रधान से हस्ताक्षरित नही है, तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर सम्बधित संस्थाप्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही इन्हे कार्यग्रहण करवाया जावे।
09. इनके कार्यग्रहण की सुचना संबंधित संधाप्रधान शाला दर्पण पर कार्यग्रहण करवाकर इस कार्यालय को आवश्यक रूप से देवे।

इन्हे उक्त **नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 26.9.2016 तक कार्यग्रहण करना** अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजा/सूचनाएं सही नही पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाऐ समाप्त की जायेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर

क्रमांक– जिशिअ/माप्र/ना/संस्था–1/नियुक्ति/शा0शि0–2013/2015–16/3434 दिनांक 16.9.2016

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. श्रीमान शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान–जयपुर।
02. श्रीमान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
03. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर।
04. श्रीमान उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मण्डल अजमेर।
05. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय, नागौर।
06. सम्बधित संस्थाप्रधान...।
07. सम्बधित आशार्थी ....को रजिस्टर्ड डाक से उनके पते पर।
08. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नागौर

शा.शि. ग्रेड III

क्र.स.	वरीयता क्रमांक	नाम अभ्यार्थि / पिता/पति का नाम	वर्ग	स्थाई पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	नियुक्ति पर पदस्थापन
1	543	RAMSWAROOP/GOGARAM	BC	मु.पो मुकलपुर तह. मेड़तासिटी नागौर	05/09/1978	GENM	राउमावि लिलिया
2	618	PREM RAJ/BHERA RAM SIYAG	BC	गांव महेश तह. खीवसर जिला नागौर	21-11-1979	GENM	रामावि टांकला न. 2
3	1516	RAM KUMAR / RAM JIVAN	BC	मु.पो. शंखवास तह. मारवाड मुण्डवा	01/07/1981	OBCM	रामावि इन्दास

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर